

बिहार सरकार  
अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।  
पत्रांक-1/आ०वि(विविध)-02-08/2009- 288।

प्रेषक,

एस० एम० राजू,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 16 दिसम्बर, 2013

विषय:-अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में 24 से 31 दिसम्बर, 2013 तक घोषित अवकाश को रद्द/निरस्त करने के संबंध में।

महाशय,


उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30.11.2013 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के साथ गया जिला स्थित शेरघाटी आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उस आवासीय विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं ने अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया कि हमलोग दूरस्थ इलाके से आकर आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। वर्तमान में दिनांक-11.10.2013 से 10.11.2013 तक विद्यालय बंद था, जिसके कारण अभी-अभी हमलोग अपने घर से लौटे हैं, फिर इतने कम समय पर दूरस्थ क्षेत्र से आने - जाने एवं बस किराया व्यय करने में सक्षम नहीं हैं। माता-पिता को दूर-दूर से आकर बच्चे को ले जाने फिर पहुँचाने में अत्यन्त कठिनाई होती है एवं ले जाने-पहुँचाने में राशि का अपव्यय होता है। इसलिए 24 से 31 दिसम्बर, 2013 तक घोषित अवकाश को रद्द कर दिया जाए।

2- उपरोक्त परिप्रक्ष्य में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की असुविधा को ध्यान में रखते हुए 24 से 31 दिसम्बर, 2013 तक घोषित अवकाश को निरस्त किया जाता है एवं इस अवधि में सामान्य दिनों की भाँति विद्यालय संचालित किये जायेंगे।

3- विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-1/आ०वि(विविध)-02-08/2009-23, दिनांक-04.01.2013 में इस हद तक संशोधित किया जाता है।


कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वास भाजन,

  
(एस० एम० राजू)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-.....288।...../पटना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि, मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।  
14/12/13